ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-4* Issue-10* November- 2019
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विषमता : वर्तमान परिदृश्य

राहुल कुमार मिश्रा
एकडेमिक काउन्सलर,
इग्नू, सेन्टर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विषमता एक ज्वलन्त विषयों में से रहा है। पिछले लगभग 20 वर्षों से इस पर बहुत कार्य हुआ है। अतः वर्तमान परिदृष्य में इसका आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय महिलाओं के आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता एवं उनके आत्मविश्वास से है। लैंगिक विषमता से अभिप्राय जब किसी समाज में लैंगिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव पूर्ण विचारधारा को अपनाया जाय। शिक्षा के महत्व को किसी भी स्थिति एवं स्तर पर कमतर नहीं मूल्यांकित किया जा सकता क्योंकि शिक्षा एक ओर समाज का निर्माण करनी है तो दूसरी ओर मानव पूंजी का निर्माण जो उत्पादन एवं आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाती है। महिला–पुरूष अनुपात किसी राष्ट्र की सोंच, बौद्विक क्षमता एवं नीति की दृढ़ता और मजबूती को प्रकट करनी है। ग्लोबल जेन्डर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच (World Economic forum) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित वैश्विक लिंग मूलक अन्तराल सूचकांक है जो अपने चार आधार स्तम्भों स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यस्थल की दशाएं तथा राजनैतिक सहभागिता के आधार पर महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, लैंगिक विषमता, मातृत्व मृत्यु दर, महिला–पुरूष अनुपात, ग्लोबल–जेण्डर गैंप सूचकांक।

प्रस्तावना

लैंगिक विषमता एवं महिला सशक्तिकरण एक ज्वलन्त विषयों में से रहा है। पिछले लगभग 20 वर्षों से इस पर बहुत कार्य हुआ है। अतः वर्तमान परिदृश्य में इसका आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर सरकारों ने चाहे वह केन्द्र की हो या राज्यों की महिला सशक्तिकरण एवं लिंग विषमता पर सतत् प्रयास किया है। वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विकास और उनके अकधिकारों के लिये उनके विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त कराने के लिये संकल्प पारित किया गया। सन् 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के 189 देशों द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें वर्ष 2015 तक लैंगिक समानता एवं महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व मृत्यु दर घटाना एवं रोजगार में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना सुनिश्चित करना आदि सम्मिलित रहा है। किसी भी देश में महिला सशक्तिकरीण को अपनाकर ही लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं।

1. महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विषमता के निवारण के लिये पूर्व में किये गये प्रयासों एवं वर्तमान प्रयासों की तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. वर्तमान परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विषमता के निराकरण के कार्यों की वास्तविक स्थिति का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना।

महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विषमता के सन्दर्भ में बहुत से शोध, शोध पत्र, पुस्तक एवं कार्य किया गया है। विश्वविद्यालयों में प्रत्येक वर्ष इस विषय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये जाते हैं। साथ ही सरकारों द्वारा भी बहुत से प्रयास महिला उत्थान के लिये किये जा रहे हैं। इससे इस विषय के महत्व एवं गम्भीरता को समझा जा सकता है। मेरी राय में इस विषय पर तब तक कार्य किया जाना चाहिए, जब तक जमीनी लक्ष्य को प्राप्त न किया जा सके। अतः इस शोध पत्र का विशेष महत्व है।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय महिलाहों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता एवं उनके आत्मविश्वास से है। यह एक नजरिया है, जो आधी आबादी को समानता के दृष्टिकोण से देखता है और जहां पर यह सोंच या नजरिया नहीं है वहीं पर भेदभाव एवं असमानता प्रतिबिम्बित होती है।। इस भेदभाव पूर्ण सोंच को समाप्त कर महिला सशक्तिकरण एवं समानता का प्रयास करना पड़ता है। चाहे फिर वह जेण्डर बजटिंग हो या महिला समर्थित कार्यक्रम या शिक्षा, स्वास्थ्य उनके रोजगार में अधिक सहभागी बनाना आदि। कुल मिलाकर महिलाओं के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो लम्बे समय तक अपनानी पड़ेगी। क्योंकि मामला तो सोंच एवं नजरिये का भी है।

लैंगिक असमानता से अभिप्राय

जब किसी समाज में लैंगिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव पूर्ण विचारधारा को अपनाया जाय, जैसे उन्हें पुरूषों की तुलना में कमतर या कमजोर माना जाय। उन्हें समान कार्य, समान वेतन उपलब्ध न हों। अन्ततः उन्हें लैंगिक आधार पर समाज में निचले स्थान पर माना जाये तो यह जेन्डर असमानता है। हालांकि इस लैंगिक असमानता को प्रतिबन्धित करने के लिए भारत के संविधान में अनेक प्राविधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभाव को निषेध करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 (3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्राविधान बनाने के लिये अधिकारित करना है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्राविधानों को प्रदान करना है, जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है[1]।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का मापन निम्न बिन्दुओं द्वारा किया जा सकता है।

साक्षरता दर

शिक्षा के महत्व को किसी भी स्थिति एवं स्तर पर कमतर नहीं मूल्यांकित किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ओर समाज का निर्माण करती है तो दूसरी ओर मानव पूँजी का निर्माण जो उत्पादन एवं आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाती है। आज के युग में जितनी आवश्यक पूंजी है उतनी ही आवश्यक मानव पूँजी है क्योंकि मानव पूँजी के बगैर कोई राष्ट्र तीव्र वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः जब प्रश्न देश की आधी आबादी का हो तो वह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 74.04 है जो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर 64.83 से लगभग 10 अंक अधिक है, लेकिन मुख्य तथ्य है कि इस दशकीय अन्तर में पुरूष साक्षरता बढ़कर जहां 82.14 प्रतिशत हो गयी, वहीं महिला साक्षरता में 16.68 प्रतिशत अन्तर व्यक्त करती है, जो कि महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की दिशा में किये गये प्रयासों को अधिक स्पष्ट करती है। हलांकि सन्तोषजनक बात यह है कि जहां पुरूषों की साक्षरता दर में वृद्धि 6.88 प्रतिशत रही, वहीं महिलाओं की दशकीय साक्षरता में यह वृद्धि 11.79 प्रतिशत रही है।[2]

मातृत्व मृत्यु दर (MMR)

मातृत्व मृत्यु दर को महिला सशक्तिकरण के प्रमुख मापक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राजकीय प्रयासों को भी मूल्यांकित किया जा सकता है। मातृत्व मृत्यु दर (MMR) 2001 की जनगणना के आधार पर जहां 301 प्रति हजार जीवित जन्म थी वह 2011–13 के मध्य घटकर 167 हो गई, जो कि इस दिशा में किये गये धनात्मक कार्यों को प्रकट करती है[3]। Sample Registration system (SRS) की 2014–16 की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2014–16 में मातृत्व मृत्यु दर घटकर 130 हो गयी। वर्तमान में SRS Report 2015–17 के आधार पर यह दर 122 प्रति लाख जीवित जन्म दर हो गयी[4], जो इस दिशा में किये गये सार्थक प्रयासों को प्रतिबिम्बित करना है। यह तो स्पष्ट है कि उचित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मानव पूंजी का निर्माण सम्भव है और इसमें भी यह आवश्यक है कि महिलाओं को प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिये। तभी सही मायने में राष्ट्र का उचित निर्माण सम्भव हो पायेगा।

महिला पुरूष अनुपात (FMR)

महिला–पुरूष अनुपात किसी राष्ट्र की सोंच, बौद्धिक क्षमता एवं नीति की दृढ़ता और मजबूती को प्रकट करता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसका आंकलन प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर महिला पुरूष अनुपात (FMR) 941 प्रति हजार पुरूष था, जो कि अगले दसकों में और अधिक घट गया। यह क्रमशः सन् 1981, 1991 एवं 2001 में 934, 927 एवं 933 प्रति हजार पुरूष रहा जो और अधिक दयनीय स्थिति को प्रकट करता है। साथ ही यह स्पष्ट करता है कि राजकीय नीतियों में इच्छा शक्ति एवं सामंजस्यता का अभाव रहा है। इन तथ्यों को विस्तार से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि इस समय अन्तराल राष्ट्रीय सोंच पुरूष प्रधान ही रही जो जनसंख्या में महिला प्रतिनिधित्व को घटाती रही। हालांकि वर्ष 2011 की जनगणना में इस अनुपात में पुनः वृद्धि दृष्टिगत हुई, जो कि सन् 1961 के स्तर के लगभग करीब रही 943 प्रति हजार पुरूष। यदि इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना न भी की जाये तो राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों में भी भारी अन्तर देखने को मिलता है जो एक उदाहरण एवं आयाम स्थापित करता है कि जब राज्यों में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो सम्पूर्ण राष्ट्र में क्यों नहीं कुछ तथ्यों को मैं यहां विश्लेषित कर रहा हूं, जो अजीब सी स्थिति को प्रस्तुत करती है। यहां पर मैं अखिल भारतीय स्तर पर दो राज्यों को ले रहा हूं, जो Female-Male Ratio के उच्च एवं निम्न रैंक पर है। सन् 1961, 1981, 1991, 2001 एवं 2011 की जनगणना के आधार पर केरल तथा हरियाणा में क्रमशः 1022–868, 1032–870, 1040–874, 1058–861 एवं 1084–877 प्रति हजार पुरूष, महिला पुरूष अनुपात दर्ज किया गया, जो जाहिरी तौर पर यह स्पष्ट करने के

लिए पर्याप्त है कि इन दोनों राज्यों की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता का उद्देश्य कहां तक रहा है। यहां पर मैं एक रोचक तथ्य और रखना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर साउथ जोन एवं नार्थ जोन की ओर अलग–अलग बढ़ने पर महिला–पुरूष अनुपात की दृष्टि से अप्रत्याशित अन्तर देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ–कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू और केरल में सन् 1991, 2001 एवं 2011 की जनगणना के आधार पर महिला पुरूष अनुपात–क्रमशः 960–972–972–1040, 965–978–987–1058 एवं 968–992–995–1084 (सर्वाधिक) प्रतिहजार पुरूष वहीं दूसरी ओर नार्थ इण्डियन राज्यों में यह अनुपात बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में क्रमशः 912–882–888–870, 919–898–876–861 एवं 916–908–893–877 (न्यूनतम्) प्रति हजार पुरूष रहा है[5] तो एक ही देश में भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार का अन्तर किन कारणों से हो सकता, साक्षरता में अन्तर के कारण, क्षेत्रीय सोंच में अन्तर के कारण, फिर राजकीय नीतियें में प्राथमिकता में अन्तर के कारण या ये सभी कारण इसके पीछे उत्तरदायी है। कारण सामूहिक हो या एकाकी परन्तु ऐसा अन्तर शायद ही किसी अन्य राष्ट्र में पाया जाता हो, जो महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के विचार की पोल खोलने के लिये पर्याप्त है।

ग्लोबल जेन्डर–गैप सूचकांक (Global Gender Gap Index)

ग्लोबल जेन्डर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित वैश्विक लिंग मूलक अन्तराल सूचकांक है। जो अपने चार आधार स्तम्भों स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यस्थल की दशाएं तथा राजनैतिक सहभागिता के आधार पर महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन कर प्रदत्त 0 से 100 के भारांक के औसत के आधार पर राष्ट्रो को ग्लोबली रैंग निर्धारित करके महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की दिशा में उनके प्रयासों तथा स्थिति का मूल्यांकन अपने आधार स्तम्भों के आधार पर करता है। भारत का GDI में स्थान वर्ष 2017 में 108 वाँ रहा जो वर्ष 2016 के मुकाबले 21 पायदान नीचे सरक गया। जबकि पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का इस बीच स्थान 47वाँ रहा। भारत की 2018 की GDI में समान स्थिति दर्ज की गयी। वर्ष 2018 की GDI में 149 देशों में भारत 108 वें स्थान पर जबकि बांग्लादेश 48वें स्थान पर रहा। शिक्षा के स्तर श्रेणी में भारत 114 वें स्थान पर रहा। शिक्षा के स्तर श्रेणी में भारत 114 वें स्थान पर पिछले साल की तुलना में दो अंकों की गिरावट के साथ रहा। इस बीच GDI में भारत ने 0.665 अंक प्राप्त किये[6]। जबकि पूरे दक्षिण एशिया ने 2018 के GDI में 65 प्रतिशत पर ही रहा, जो भारत 66 प्रतिशत के मुकाबले कहीं कम है। उपरोक्त तथ्य तथा विश्लेषण नीतिगत दुर्बलता को ही नहीं इच्छाशक्ति के अभाव को भी प्रकट करता है।

सरकारों द्वारा किये गये प्रयास

महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने समय–समय पर कई कार्यक्रमों को संचालित किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैः–

वर्ष 2015 को केन्द्र सरकार ने महिलाओं को जागरूक एवं क्षमतावान बनाने के उद्देश्य से बेटी बचाओं एवं बेटी पढ़ाओं योजना का प्रारम्भ किया जिसकी प्रारम्भिक राशि 100 करोड़ रूपया रखी गयी। वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र योजना (PMMSK) को कैबिनेट कमेटी ने 2017–18 से 2019–20 के लिये पास किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। श्रम दिवस के अवसर पर 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्जवल योजना का शुभारम्भ किया, जिसके अन्तर्गत गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 05 करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हलांकि इससे कहीं अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वर्ष–2015 में बेटी बचाओं एवं बेटी पढ़ाओं योजना के अन्तर्गत बच्चियों के लिये शुकन्या समृद्धि योजना का प्रारम्भ किया गया, जो उनके सुरक्षित भविष्य हेतु एक कर रहित निश्चित जमा योजना है। स्वयम सिद्धा योजना वर्ष 2001 में प्रारम्भ की गयी। इस केन्द्र सरकार प्रायोजित योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक सशक्त संस्था का आधार रखना रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। इसी क्रम में केन्द्र सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2004 में जेन्डर बजट योजना (GBS) को अपनाया गया। इस प्रकार कितनी ही योजनाओं को समयान्तर पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला उत्थान के लिये अपनाया जाता रहा है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के आधार पर कई निष्कर्ष भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों से प्राप्त किये जा सकत हैं। लेकिन यह एक कठिन एवं गम्भीर विषय है एवं इससे भी गम्भीर इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। क्योंकि सदैव एक शोधार्थी या लेखक के लिये भावनात्मक होकर केवल एक ही तथ्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर निर्णयात्मक समीक्षात्मक मूल्यांकन करने की बहुत अधिक सम्भावना बनी रहती है। अतः यह प्रस्तुत शोध पत्र का सबसे कठिन एवं महत्व पूर्ण भाग है। मेरे द्वारा उपरोक्त शोध पत्र में तथ्यों एवं आंकड़ों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष बिन्दुगत हैः–

1. अखिल भारतीय स्तर पर सन् 1951 में कुल साक्षरता दर 18.32 थी, जिसमें महिला एवं पुरूष साक्षरता अनुपात 8.86 व 27.15 रही। इसमें भी ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर भारी अन्तर दृष्टिगत रहा। इस बीच ग्रामीण एवं शहरी महिला साक्षरता दर 4.82 व 22.3 रही।[7] जहां शहरी क्षेत्र में महिला एवं पुरूष साक्षरता में अन्तर 50 प्रतिशत का था लेकिन ग्रामीण स्तर पर दोनों के मध्य अन्तर चार गुने से भी अधिक का रहा।

2. सन् 1951 से लेकर वर्ष 2011 तक की दशकीय साक्षरता दर में महिला एवं पुरूषों के मध्य अमूमन 25 से 30 अंकों के मध्य अन्तर बना ही रहा।
3. सन् 1951 से लेकर वर्ष 2011 तक की दसकीय साक्षरता दर के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण स्तर पर महिला एवं पुरूष साक्षरता दर में यह अन्तर वर्ष 2011 में सबसे कम रहा।
4. राष्ट्रीय स्तर का मातृत्व मृत्यु दर (MMR) में सन् 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 45 प्रतिशत तक गिरावट आई। इस दिशा में सरकार द्वारा अभूतपूर्व प्रयास किया गया जो वर्ष 2015–17 की SRS रिपोर्ट के आधार पर 122 प्रति लाख जीवित जन्म दर्ज की गयी। यह एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है।
5. महिला–पुरूष अनुपात (FMR) जो अखिल भारतीय स्तर पर सन् 1961 में 941 प्रति हजार पुरूष था, जो कि जनगणना 1981, 1991, 2001 व 2011 में क्रमशः 934, 927, 933 व 940 प्राप्त हुआ, जो सरकार के प्रयासों, नीतियों एवं इच्छाशक्ति की दुर्बलता को प्रकट करता है कि हम सन् 1961 में 941 FMR पर थे और जैसे–जैसे दशक गुजरे हम और नीचे गिरते गये। जहां हम एक ओर आधुनिकता को अपनाते गये लेकिन हमारी सोंच महिलाओं के संदर्भ में और अधिक विकृत होती गयी। इस प्रकार के लचर प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विषमता पर बहुत अधिक कुठाराधात किया। वह तो 2011 की जनगणना के संशोधित आंकड़ों ने FMR को 943 होना प्रस्तुत किया, नही तो हम इस विषय पर 50 वर्षों में सन् 1961 के मुकाबले नीचे ही गिरे हैं।
6. जेन्डर गैप सूचकांक में भारत वर्ष 2016 के तुलना में 2017 में 21 पायदान नीचे होकर 108वाँ स्थान प्राप्त किया। हमसे बेहतर अंक हमारे छोटे पड़ोसी देश बांगलादेश ने प्राप्त कर 47वाँ स्थान प्राप्त किया, जो हमारे महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के प्रयासों को निचले स्तर पर होने को मूल्यांकित करता है।
7. जब से योजनाकाल को अपनाया गया तब से लेकर वर्तमान तक सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास एवं उत्थान के लिए कोई न कोई कार्यक्रमों को संचालित किया जाता रहा है। लेकिन उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यह सरकारी प्रयास कहा तक सफल है। जब तक सच्ची भावना, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जायेगा, हम कभी भी इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

अन्त में सरकारी कार्यक्रमों में सामंजस्यता एवं पूरकता के साथ एक स्पष्ट नीति बनाकर क्रियान्वित किया जाना चाहिये। साथ ही ये प्रयास सतत् एवं दृढ़ होने चाहिए एवं आधी आबादी को भी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। तब ही महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

अंत टिप्पणी

1. *www.wikipedia.org/content/ लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और सवैधानिक सुरक्ष उपाय।*
2. *Literacy Rate, Census of India, State of Literacy www.censusindia.gov.in*
3. *भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण – 2018, पेज–49*
4. *Special Bulletin on maternal, SRS Report office of Registrar General Mortality in India, 2014-16, India, 2015-17*
5. *Indian Economy, Misra & Puri 32nd Edition Page-127*
6. *www.jagranjosh.com/content/global-gender gap report-2018*
7. *Literacy and Education Chapter 3 Page 3-www.mospi.gov.in>files>chapter-3*
8. *Indian Economy-Arihant Publications (India) Ltd.*